

प्रपत्र-23.1

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ के विकास खण्ड पोखरी के अन्तर्गत मैठाना-स्यालतरी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.631 है० सिविल वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम- कुंजासू
तहसील- पोखरी
जिला- चमोली

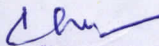
अनापत्ति प्रमाण पत्र

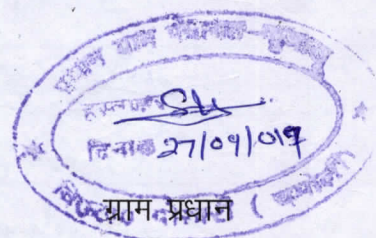
उत्तराखण्ड के जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ के विकास खण्ड पोखरी के अन्तर्गत मैठाना-स्यालतरी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.631 है० सिविल/वन पंचायत भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कुंजासू द्वारा दिनांक 27.09.2017 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कुंजासू के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।


ग्राम पंचायत विभाग अधिकारी
ग्राम सचिव, चमोली



दिनांक ...27/09/2017 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत- ...कुंजासु...

मैठाना-स्यालतरी मोटर मार्ग निर्माण हेतु ग्राम सभा की बैठक हुई। मोटर मार्ग निर्माण में ग्रामवासियों को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

क्र०सं०	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	दर्शन सिंह क०५१०१	
2	इशारत सिंह कुंजासु	Dasrath Singh
3	भातवर सिंह क०५१०१	भातवर सिंह
4	सुदान सिंह क०५१०१	Sudan Singh Khandari
5	पुष्कर सिंह २१०५	पुष्कर सिंह
6	भगत सिंह २१०५	Bhagat Singh
7	कल्याण सिंह २१०५	Kalyan Singh
8	नन्दा सिंह क०५१०१	नन्दा सिंह
9	राजेन्द्र सिंह कुंजासु	
10	छिन्न सिंह क०५१०१	छिन्न सिंह
11	लिलोक सिंह क०५१०१	लिलोक सिंह
12	मरेन्द्र सिंह क०५१०१	मरेन्द्र सिंह
13	कल्याण सिंह	कल्याण सिंह
14	सावित्री देवी -	सावित्री देवी
15	राधा सिंह	राधा सिंह
16	भारत सिंह	
17	राजेन्द्र सिंह क०५१०१	Rajendra Singh
18	मरेन्द्र सिंह सावित्री देवी	Mamendra Singh
	सावित्री देवी बुटोला	
	सदस्या	
	क्षेत्र पंचायत वार्ड 13 विन	
	वि०ख० पोखरी, चमोला	

[illegible]

अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पंचायत कुंसाख के अन्तर्गत भठियाणा, जखेड़ा स्थालती एवं नलखेरे के लिए स्वीकृत 4 सिंही. मीटर मार्ग का प्रारम्भिक सर्वे किया गया है, जिससे हम सभी ग्राम वासी सहमत हैं।

अतः हम यह प्रमाण पत्र लिखकर देते हैं कि इस सर्वे पर हम किसी की शिकायत की अपेक्षा नहीं करते। यह प्रमाण पत्र हस्ताक्षर करके देते हैं।

दि 02/01/17
स्थान - पोखरी

नाम ग्रामवासी

सावित्री देवी

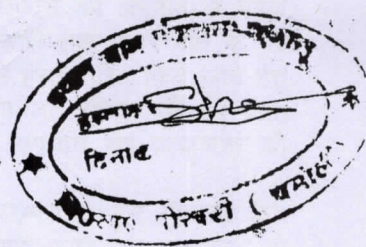
सावत्री देवी बुलोला

सदस्या

क्षेत्र पंचायत वार्ड 13 सिनगढ़

विषय पोखरी, चमोली

हस्ताक्षर



1. हरम सिंह कठारी
2. कल्याण सिंह कठारी
3. सिद्धांत सिंह कठारी
4. जाय सिंह कठारी
5. लक्ष्मण सिंह
6. राजेंद्र सिंह बुलोला
7. जगत सिंह कठारी (महामाया) जगत सिंह
8. मोहन सिंह कठारी
9. जगत सिंह कठारी
10. हेमन्त सिंह कठारी
11. पंचम सिंह कठारी
12. अमर सिंह कठारी
13. नन्दा सिंह कठारी
14. दिलीप सिंह कठारी
15. हरीश सिंह कठारी

सुमिता देवी
संपन्न व. पं.
कुंसाख

गर्ह्यम् उपरोक्त समस्त के निराकरण हेतु वीर्य के आधार आवश्यक कार्यवाही अविलम्ब की महती कृपा कि विमर्श के लिए विनम्र प्रार्थना है।
हस्ताक्षर कठारी
पुं. से. व. स. पुं.

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ के विकास खण्ड पोखरी के अन्तर्गत मैठाना-स्यालतरी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.631 है० सिविल वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, पोखरी
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, पोखरी

उपखण्ड पोखरी परिक्षेत्र के अन्तर्गत मैठाना से स्यालतरी तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.631 है० सिविल/वन पंचायत भूमि का लोक निर्माण विभाग, पोखरी (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति की दिनांक 03/09/2024 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1- श्री	विमल शर्मा	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2- श्री	विष्णु शर्मा	वन क्षेत्राधिकारी, पोखरी	सदस्य
3- श्री	वेद सिंह	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/सचिव
4- श्री	बिनाद लाल	बी०डी०सी० क्षेत्र	सदस्य
5- श्री	तेजपाल सिंह	बी०डी०सी० क्षेत्र	सदस्य
6- श्री	विनीता देवी	बी०डी०सी० क्षेत्र	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि मैठाना से स्यालतरी तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.631 है० सिविल वन भूमि का लो०नि०वि० पोखरी (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उपप्रभागीय वनाधिकारी, गोपेश्वर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड पोखरी परिक्षेत्र के अन्तर्गत मैठाना से स्यालतरी तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.631 है० सिविल वन भूमि का लो०नि०वि० पोखरी (प्रयोक्ता एजेन्सी) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

क्षेत्र पंचायत आली
वि० ख० पोखरी (चमोली)

विनीता देवी
सदस्य
क्षेत्र पंचायत थालाबैड
वि० ख० पोखरी (चमोली)

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- पोखरी
जनपद- चमोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
विकास खण्ड पोखरी

वन क्षेत्राधिकारी
माननीय वन क्षेत्र नयनाथ
क्षेत्राधिकारी वन जीव प्रभाव

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- पोखरी
जनपद- चमोली

FORM-I

(for linear projects)

**Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Chamoli**

No.....

Dated.....

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

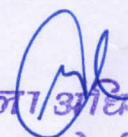
In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 1.631 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of P.W.D. Pokhari for Construction of **Maithana to Syaltary Motor Road** in Chamoli district falls within jurisdiction of Kunjasu village in Pokhari tehsil.

It is further certified that:

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) Sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha's have given their consent to it;
- The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.


जिला समाज कल्याण अधिकारी
चमोली


जिला अधिकारी
चमोली

(Full name and official seal of the District Collector)


District Forest Officer
Kedarnath Wildlife Division
केदारनाथ जीव प्रभाग
गोपेश्वरा

FORM-II

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE DISTRICT CHAMOLI (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA) 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Himanshu Khurana (IAS) District Magistrate Chamoli on date 01/11/2021 at time 03:00 P.m. at G.P.R. in which application claiming rights in total area measuring 1.631.... hect. for the construction of Maithana to Syaltari Motor Road (4.00 Km.) of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Pokhari sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Gopeshwar

Dated:


जिला अधिकारी
चमोली

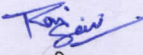
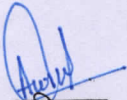
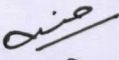
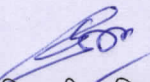
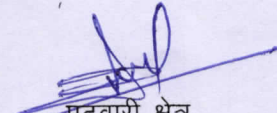
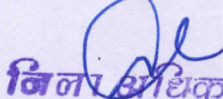
District Magistrate-cum-Chairman
District Level Committee


Divisional Forest Officer
Kedamath Wildlife Division
Gopeshwar

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ के विकास खण्ड पोखरी के अन्तर्गत मैठाना-स्यालतरी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.631 है० सिविल वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ के विकास खण्ड पोखरी के अन्तर्गत मैठाना-स्यालतरी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.631 है० सिविल/वन पंचायत भूमि लोक निर्माण विभाग, पोखरी (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या- 11-9/98 एफ०सी० दिनांक 05.02. 2013 के द्वारा सड़क निर्माण, नहर निर्माण, पारेषण लाईन, रोपवे, ओ०एफ०सी० केबिल, पाईप लाईन बिछाने आदि प्रयोजनों को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। भारत सरकार के उक्त आदेश के क्रम में प्रमाणित किया जाता है, कि परियोजना विशेष के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Primitive Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

 अमीन नि०ख०,लो०नि०वि० पोखरी	 कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड लो०नि०वि० पोखरी	 सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड लो०नि०वि० पोखरी	 अधिशाली अभियन्ता निर्माण खण्ड लो०नि०वि० पोखरी
 पटवारी क्षेत्र देवर	 तहसीलदार पोखरी तहसील चमोली जिला चमोली	 उपजिलाधिकारी पोखरी उपजिला चमोली	 जिलाधिकारी चमोली